

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/08/2008/2665

भोपाल, दिनांक 26/09/2008

/आदेश/

कु.सरोजनी श्रीवास,सहायक शिक्षिका, शा. प्रा.शाला क्वायला तह.बण्डा जि.सागर का समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में मानवीय आधार ( दोनों हाथ से विकलांगता की स्थिति ) होने के कारण विशेष प्रकरण मानते हुये, स्वैच्छिक आवेदन अनुसार स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण संकुल केन्द्र-शा.प्राथ.शाला पिपरियाचौदा विद्यालय विकासखण्ड बण्डा जिला सागर में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।



आयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26/09/2008

पृ.क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/ /2008/2666  
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्रीजी,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2/ निज सचिव,माननीय मंत्रीजी,स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3/ निज सचिव,माननीय राज्यमंत्रीजी,स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 4/ निज सचिव,प्रभारी मंत्री,जिला-सागर की ओर सूचनार्थ।
- 5/ स्टॉफ आफिसर,आयुक्त लोक शिक्षण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6/ कलेक्टर,जिला-सागर,म.प्र.।
- 7/ संयुक्त संचालक,संभागीय कार्यालय संभाग-सागर,म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 8/ जिला शिक्षा अधिकारी,जिला-सागर,म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9/ कोष एवं लेखा अधिकारी,जिला-सागर,म.प्र.।
- 10/ संबंधित-श्री/श्रीमती/कु.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश